UPGK010078642025

**न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।**
**उपस्थित–राज कुमार सिंह (एच0जे0एस0)**

**सेशन केस नम्बर–1851/2025**

उत्तर प्रदेश राज्य ................**अभियोजन पक्ष**

**बनाम**

1–श्रीराम चौरसिया पुत्र स्व0 मंगरू चौरसिया,
2–तिलारी देवी पत्नी श्रीराम चौरसिया,
3–धर्मेन्द्र चौरसिया पुत्र श्रीराम चौरसिया,
निवासीगण–मझौरा, हरपुर बुदहट, गोरखपुर।

................ **अभियुक्तगण**

मु०अ०सं०–31/2024
अंतर्गत धारा–323,504,506,498ए,308 भा0दं0सं0
थाना–हरपुर बुदहट
जनपद–गोरखपुर।

**निर्णय**

**1–** प्रस्तुत सत्र वाद में अभियुक्तगण श्रीराम चौरसिया, तिलारी देवी व धर्मेन्द्र चौरसिया को धारा–323, 504, 506, 498ए, 308 भा0दं0सं0 के आरोपों से आरोपित किया गया है।

**2–** प्रस्तुत सत्र परीक्षण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादिनी मुकदमा सोनी देवी पत्नी चन्द्रशेखर उर्फ गुड्डू चौरसिया, निवासिनी ग्राम मझौरा, थाना हरपुर बुदहट, जनपद गोरखपुर के द्वारा दिनांक 08.02.2024 को थाना हरपुर

बुदहट, जनपद गोरखपुर पर इस आशय की लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 दी गई कि –

**"दिनांक 08.02.2024 को सुबह करीब 8 बजे सिलेण्डर गैस की बात को लेकर मेरे ससुर श्रीराम चौरसिया पुत्र स्व0 मगरू चौरसिया व सासु तिलारी देवी पत्नी श्रीराम चौरसिया व देवर धर्मेन्द्र चौरसिया पुत्र श्रीराम चौरसिया मिलकर मुझे भद्दी–भद्दी गाली–गुप्ता देते हुए लाठी–डण्डे से मारे–पीटे जिसमें मुझे काफी ज्यादे व अन्दरूनी चोटें लगी तथा जान से मारने की धमकी दिये।"**

**3–** प्रस्तुत मामले में वादिनी मुकदमा की लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर मु0अ0सं0 31/2024 अन्तर्गत धारा–323, 504, 506 भा0दं0सं0 के तहत दिनांक 08.02.2024 को समय 17.11 बजे, थाना हरपुर बुदहट, जनपद गोरखपुर पर अभियुक्तगण श्रीराम चौरसिया, तिलारी देवी व धर्मेन्द्र चौरसिया के विरूद्ध पंजीकृत की गई, जिसका इन्द्राज थाने की जी0डी0 में अंकित किया गया। विवेचक द्वारा इस मामले की विवेचना की गई। विवेचक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी तैयार किया गया, गवाहान के बयान लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना के दौरान एकत्रित साक्ष्य व वादिनी मुकदमा की चिकित्सीय परीक्षण आख्या के आधार पर प्रस्तुत प्रकरण में धारा–498ए व 308 भा0दं0सं0 की बढ़ोत्तरी की गई। विवेचक द्वारा विवेचना की सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्तगण श्रीराम च ौरसिया, तिलारी देवी व धर्मेन्द्र चौरसिया के विरूद्ध आरोप–पत्र प्रदर्श क–2 अन्तर्गत धारा–323, 504, 506, 498ए, 308 भा0दं0सं0 में न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 16.04.2024 को प्रसंज्ञान लिया गया।

**4–** प्रस्तुत प्रकरण, सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होने के कारण तत्कालीन अपर सिविल जज (सी0डि0)–प्रथम/ए0सी0जे0एम0, गोरखपुर द्वारा दिनांक 03.03.3025 को विचारण हेतु सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया है।

**5–** तत्कालीन सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर के द्वारा दिनांक 30.07.2025 को अभियुक्तगण श्रीराम चौरसिया, तिलारी देवी व धर्मेन्द्र चौरसिया के विरूद्ध धारा–323, 504, 506, 498ए, 308 के तहत आरोप विरचित किया गया, जिसे पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया गया, अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया एवं परीक्षण की मांग की।

**6–** अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक के निम्नलिखित साक्षीगण को मौखिक साक्ष्य के रूप में परीक्षित कराया गया है–

| **कम सं0** | **अभियोजन साक्षी संख्या** | **साक्षीगण के नाम** |
|---|---|---|
| 1 | अभियोजन साक्षी सं0–1 | वादिनी मुकदमा सोनी |
| 2 | अभियोजन साक्षी सं0–2 | शिव प्रसाद |
| 3 | अभियोजन साक्षी सं0–3 | इन्द्रजीत |
| 4 | अभियोजन साक्षी सं0–4 | बृजनाथ |

**7–** अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित प्रदर्श प्रस्तुत किये गये हैं–

| **क.सं.** | **प्रदर्श संख्या** | **अभियोजन प्रपत्र** |
|---|---|---|
| 1 | प्रदर्श क–1 | लिखित तहरीर |
| 2 | प्रदर्श क–2 | आरोप–पत्र |
| 3 | प्रदर्श क–3 | कम्प्यूटराईज्ड चिक एफ0आई0आर0 |
| 4 | प्रदर्श क–4 | तहरीर के पुष्ठ पर अंकित रिपोर्ट |
| 5 | प्रदर्श क–5 | कम्प्यूटराईज्ड कायमी मुकदमा की जी0डी0 |
| 6 | प्रदर्श क–6 | नक्शा–नजरी घटनास्थल |
| 7 | प्रदर्श क–7 | आहत सोनी के सी0टी0स्कैन हेड की मूल प्रति |
| 8 | प्रदर्श क–8 | आहत सोनी के आउट पेशेण्ट रिकार्ड की प्रमाणित प्रति |
| 9 | प्रदर्श क–9 | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का चिकित्सीय पर्चा |
| 10 | प्रदर्श क–10 | आहत सोनी के चिकित्सीय परीक्षण आख्या की मूलप्रति |
| 11 | प्रदर्श क–11 | जी0डी0 की कम्प्यूटराईज्ड प्रति |
| 12 | वस्तु प्रदर्श–1 | आहत सोनी की सी0टी0स्कैन प्लेट |

**7.1—** यहॉ यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन साक्षी संख्या–1 वादिनी मुकदमा सोनी के द्वारा अपनी साक्ष्य से लिखित तहरीर को प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया गया है तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा शेष अभियोजन प्रपत्रों आरोप–पत्र कम्प्यूटराईज्ड चिक एफ.आई.आर., तहरीर के पुष्ठ पर अंकित रिपोर्ट, कम्प्यूटराईज्ड कायमी मुकदमा की जी0डी0, नक्शा–नजरी घटनास्थल, आहत सोनी की मूल सी0टी0स्कैन रिपोर्ट, आहत सोनी के पेशेन्ट रिकार्ड की प्रमाणित प्रति, आहत सोनी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का चिकित्सीय पर्चा, आहत सोनी की मूल चिकित्सीय परीक्षण आख्या व जी0डी0 की प्रति की औपचारिक सत्यता को स्वीकार किया गया है जिन्हें क्रमशः प्रदर्श क–2 लगायत क–11 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तदुपरान्त अभियोजन द्वारा अपना साक्ष्य समाप्त किया गया है।

**8—** अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया जिसमें अभियुक्तगण ने घटना को गलत व मुकदमा रंजिशन चलाया जाना कहा है। बचाव पक्ष की ओर से कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

**9.** दौरान बहस विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये गये कि ''कथित घटना की तिथि व समय पर अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा को मार–पीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया गया, उसे गाली–गुप्ता व जान से मारने की धमकी दी गई तथा वादिनी से दहेज की मॉग कर उसे प्रताड़ित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा के उपर लाठी–डण्डा से प्रहार कर उसे स्वेच्छया गम्भीर उपहति कारित किया गया। पत्रावली पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर दण्डित किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। इस प्रकार अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर दण्डित किये जाने की याचना की गयी।''

**10.** अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निम्नलिखित तर्क दिये गये कि ''अभियुक्तगण निर्दोष है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित तथ्य के साक्षीगण अभियोजन साक्षी संख्या–1 वादिनी मुकदमा सोनी, अभियोजन

साक्षी संख्या–2 शिव प्रसाद, अभियोजन साक्षी संख्या–3 इन्द्रजीत व अभियोजन साक्षी सं0 4 बृजनाथ के द्वारा अपनी–अपनी साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है तथा उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया है। पत्रावली पर ऐसा कोई मौखिक अथवा प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर दण्डित किया जा सके। इस प्रकार से अभियोजन अपने कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर सका है।'' उपरोक्त आधारों पर अभियुक्तगण को दोषमुक्त करने की याचना की गयी।''

**11–** मैंने विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा समस्त साक्ष्यों एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

**12–** प्रस्तुत सत्र परीक्षण के विधिसम्मत निस्तारण एवं विनिश्चयन हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा– 354 (ख) के प्राविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अवधार्य प्रश्न विरचित किये जाते हैं–

क्या अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध विरचित आरोप अंतर्गत धारा–323, 504,506, 498ए, 308 भा0दं0सं0 के आरोपों को युक्तियुक्त संदेहों के परे साबित करने में सफल रही है? यदि हां तो इसका प्रभाव?

**13–** मैं अभियोजन एवं अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का परिशीलन फौजदारी विधि के इस सुस्थापित सिद्धातों को मस्तिष्क में रखते हुए कर रहा हूं कि यह अभियोजन पर भार है कि वे आरोपों को युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करें। यह अभियुक्तगण पर भार नहीं है कि वे स्वयं को निर्दोष साबित करें। मैं साक्ष्यों का विश्लेषण फौजदारी विधि के इस सुस्थापित सिद्धान्त को भी मस्तिष्क में रखते हुए कर रहा हूं कि न्यायालय का केवल यह कर्तव्य नहीं होता है कि कोई निर्दोष सजा न पाने पावे, बल्कि न्यायालय का यह भी कर्तव्य होता है कि कोई दोषी छूटने न पावे। दोनों ही लोक कर्तव्य हैं।

**14—** अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अभियोजन साक्षीगण के मौखिक साक्ष्य का विवरण निम्नलिखित है—

अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन साक्षी संख्या—1 के रूप में वादिनी मुकदमा सोनी को सशपथ परीक्षित कराया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या—1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "मेरे पिता का नाम श्री इन्द्रजीत चौरसिया है। मेरा मायका ग्राम दुबरिया थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर है। मेरा विवाह ग्राम मझौरा थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर के निवासी चन्द्रशेखर उर्फ गुड्डू पुत्र श्रीराम चौरसिया के साथ वर्ष 2003 में हुआ था। मेरे व मेरे पति के बीच एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम दिव्यांश उर्फ रितुराज उम्र 12 वर्ष है। मैं इण्टरमीडिएट पास हूँ। घटना दिनांक 08.02.2024 के सुबह 8 बजे की है। उस दिन मैं अपने ससुराल में खाना बनाने जा रही थी। मैं गैस सिलेन्डर हटा रही थी कि उसी में फिसलकर गिर गयी, जिससे किचन में रखे बरतन और बरजे से मुझे चोटे आ गयी। मेरे ससुराल में मेरे ससुर श्रीराम चौरसिया, सास तिलारी देवी और देवर धर्मेन्द्र चौरसिया मुझे गाली—गुप्ता देते हुए लाठी डंडा से नहीं मारे थे। चोट लगने से मैं घबरा गयी। मेरे ससुराल वाले मुझे अस्पताल नहीं ले गये तब मैं अपने पिता के पास फोन की वे आये तब उन्होंने दरखास्त लिखा और थाने पर ले गये जिस पर मेरा डाक्टरी वगै० पुलिस वाले कराये। दरखास्त पर मैंने अपना हस्ताक्षर बनाया था, जो शामिल मिसिल का०सं० 4 क/4 साक्षी को दिखाया और पढकर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि इस पर मेरा हस्ताक्षर बना हुआ है जिसको मैं तस्दीक करती हूँ जिस पर प्रदर्श क—1 डाला गया। साक्षी ने स्वयं कहा कि दरखास्त में लिखित बाते मेरे कहने पर नहीं लिखी गयी थी लिखने वाले ने अपने मन से लिखा था। पुलिस वाले मेरा कोई बयान नहीं लिये थे।" इस स्तर पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन को जिरह का अवसर प्रदान किया गया।

**14.1—** अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन साक्षी संख्या—1 से प्रति परीक्षा की गई। प्रति परीक्षा में इस साक्षी को उसका बयान अन्तर्गत 161

दं०प्र०सं० का बयान पढकर सुनाया गया तो कहा कि ''मैंने विवेचक को यह बयान नहीं दिया था कि ''दिनांक 08.02.2024 को सुबह 8 बजे सिलेन्डर गैस की बात को लेकर मेरे ससुर श्रीराम चौरसिया ..........सास तिलारी देवी ............ देवर धर्मेन्द्र चौरसिया मिलकर मुझे भद्दी–भद्दी गाली गुप्ता देते हुए लाठी डंडे से मारे पीटे जिसमें मुझे काफी ज्यादे व अंदरूनी चोटे लगीं......... मुझे प्रताड़ित करते है तथा मुझे खर्चा भी नहीं देते है इन लोगों से मैं तंग आकर माननीय न्यायालय में खर्चे के लिये दावा का मुकदमा भी किया था किन्तु इसके बावजूद भी ये लोग मुझे खर्चा नहीं देते हैं।'' विवेचक ने मेरे बयान में कैसे लिख लिया इसका कारण मैं नहीं बता सकती। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण से न्यायालय के बाहर पैसा लेकर सुलह कर लिया है इसलिए उन्हें बचाने की गरज से अपने 161 दं०प्र०सं० के बयान से भिन्न बयान कर रही हूँ। यह सत्य है कि मैं अपने पति चन्द्रशेखर उर्फ गुड्डू चौरसिया से सहमति के आधार पर न्यायालय में विवाह विच्छेद धारा 13बी हिन्दू विवाह अधिनियम का मुकदमा दाखिल है। मैंने अपने पति के ऊपर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा किया था जिसमें दिनांक 07.08.2025 को सुलह समझौते के आधार पर मुकदमा समाप्त हो चुका है। यह कहना गलत है कि धारा 13 बी व दहेज उत्पीड़न के मुकदमे मे सुलह कर लेने के कारण आज अपने ससुर श्रीराम चौरसिया, सास तिलारी देवी व देवर धर्मेन्द्र चौरसिया के द्वारा घटना के दिन समय स्थान पर गाली गुप्ता देते हुए लाठी डंडा से मारने पर चोटें आने की जानकारी के बावजूद सही बात नहीं बता रही हूँ।'' साक्षी को प्रदर्श क–1 पढकर सुनाया गया और दिखाया गया तो उसने स्वीकार किया कि ''यह बात उल्लिखित है कि ''दिनांक 08.02.2024 को सुबह करीब 8 बजे सिलेन्डर गैस की बात को लेकर मेरे ससुर श्रीराम चौरसिया ..............मुझे भद्दी–भद्दी गाली देते हुए लाठी डंडे से मारे पीटे जिससे मुझे काफी ज्यादे अंदरूनी चोटे लगी तथा जान से मारने की धमकी दिया।'' साक्षी ने स्वयं कहा उक्त बाते मेरे बोलने से नहीं लिखी गयी थी मैंने सिर्फ अपना हस्ताक्षर बनाया था। लिखने वाले ने अपने मन से लिखा। यह कहना गलत है कि मेरे ससुराल पक्ष वालों से मेरा न्यायालय के बाहर पैसा लेकर सुलह हो गया है। इसलिए अपने तहरीर में उल्लिखित बातें लिखने वाले के द्वारा अपने मन से लिखने की बात बता रही हूँ। यह सत्य है कि मेरे और अभियुक्तगण

के बीच में सुलह हो गयी है। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण से सुलह होने के कारण अभियुक्तगण को बचाने के लिए भिन्न–भिन्न स्तर पर भिन्न भिन्न गवाही कर रही हूँ।''

**14.2–** न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्षी संख्या–1 से प्रति परीक्षा की गई है तथा प्रति परीक्षा न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्षी संख्या–1 से निम्नलिखित प्रश्न पूछे गये कि 1–क्या आप किसी व्यक्ति, पुलिस, अधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता के समझाने पर बयान कर रही है, 2–क्या आप किसी अनुचित प्रलोभन में गवाही कर रही हैं? 3–क्या आप किसी के दबाव में गवाही कर रही हैं। उक्त तीनों प्रश्नों का उत्तर इस साक्षी ने ''नहीं'' के रूप में दिया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्षी संख्या–1 से चौथा प्रश्न यह पूछा गया कि ''क्या आप अपने स्वछंद मन से गवाही कर रही हैं?'' जिसका उत्तर इस साक्षी ने ''हॉ'' के रूप में दिया है।

**14.3–** बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन साक्षी संख्या–1 से प्रति परीक्षा की गई है। प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि ''घटना के समय सुबह 8 बजे मैं खाना बनाने के लिए किचन में गयी थी सिलेन्डर उठाने में गिर जाने से मेरे शरीर में चोट लग गयी थी। मेरे पिता आये और डाक्टरी कराने के लिए एक दरखास्त लिखकर थाने पर दे दिये। मेरे ससुर श्रीराम चौरसिया, सास तिलारी देवी व देवर धर्मेन्द्र चौरसिया मुझे गाली–गुप्ता देते हुए लाठी–डण्डे से नहीं मारे थे और न ही ये लोग मुझे कभी प्रताड़ित किये।'' हाजिर अदालत अभियुक्त श्रीराम चौरसिया को देखकर इस साक्षी ने बताया कि ''इन्होनें घटना के दिन, समय व स्थान पर अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर मुझे मारा–पीटा नहीं है।''

**15–** अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन साक्षी संख्या–2 के रूप में शिव प्रसाद को सशपथ परीक्षित कराया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या–2 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि ''मेरी सगी भांजी सोनी पुत्री इन्द्रजीत निवासी हरपुर उर्फ दुबरिया, थाना हरपुर बुदहट, जनपद गोरखपुर का विवाह चन्द्रशेखर उर्फ गुड्डू पुत्र श्रीराम चौरसिया, ग्राम मझौरा, थाना

हरपुर बुदहट, जनपद गोरखपुर के साथ वर्ष 2003 में हुआ था। उसके ससुराल वाले सोनी को मारते–पीटते थे कि उसकी जानकारी मुझे नहीं है और न ही उसके ससुराल वालों से किसी सुलह समझौता की जानकारी मुझे है। उसके ससुर श्रीराम, सास तिलारी देवी, देवर धर्मेन्द्र चौरसिया को गाली–गुप्ता देते हुए व लाठी–डण्डा से मारते हुए मैंने नहीं देखा न ही जान से मारने की धमकी की जानकारी मुझे है।'' इस स्तर पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया और अभियोजन को जिरह का अवसर प्रदान किया गया।

**15.1—** अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा अभियोजन साक्षी संख्या–2 से प्रति परीक्षा की गई है। प्रति परीक्षा में इस साक्षी को उसका बयान अन्तर्गत धारा–161 दं0प्र0सं0 पढ़कर सुनाया गया तो कहा कि ''मैंने विवेचक को यह बयान नहीं दिया था कि ''किन्तु उसके ससुराल वाले उसे बहुत ही प्रताड़ित करते हैं .............. उसके ससुराल वाले न उसे और न ही उसके बच्चे को खर्चा देते हैं। सोनी के माता–पिता व उसके बच्चे की परवरिश व देख–देख करते हैं।'' विवेचक ने मेरे बयान में कैस लिख लिया इसका कारण मैं नहीं बता सकती। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण से न्यायालय के बाहर पैसा लेकर सुलह कर लिया है इसलिये उन्हें बचाने की गरज से अपने 161 द0प्र0सं0 के बयान से भिन्न बयान कर रहा हूँ। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण के रिश्तेदारों के दबाव में आकर उन्हें बचाने की गरज से उनके द्वारा सोनी को मारते–पीटते व प्रताड़ित करने की जानकारी के बावजूद सही बात नहीं बता रहा हूँ।

**15.2—** न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्षी संख्या–2 से प्रति परीक्षा की गई है तथा प्रति परीक्षा न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्षी संख्या–2 से ये प्रश्न पूछे गये कि 1–क्या आप किसी व्यक्ति, पुलिस, अधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता के समझाने पर बयान कर रहे हैं, 2–क्या आप किसी अनुचित प्रलोभन में गवाही कर रहे हैं? 3–क्या आप किसी के दबाव में गवाही कर रहे हैं। उक्त तीनों प्रश्नों का उत्तर इस साक्षी ने ''नहीं'' के रूप में दिया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्षी संख्या–2 से चौथा प्रश्न यह पूछा गया कि

''क्या आप अपने स्वछंद मन से गवाही कर रहे हैं?'' जिसका उत्तर इस साक्षी ने ''हॉ'' के रूप में दिया है।

**15.3–** बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा भी अभियोजन साक्षी संख्या–2 शिव प्रसाद से भी प्रति परीक्षा की गई है। प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया हे कि ''मैंने कोई घटना अपने ऑख से नहीं देखा और न ही सुना।''

**16–** अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन साक्षी संख्या–3 के रूप में इन्द्रजीत को सशपथ परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि ''मेरे पुत्री सोनी का विवाह सन 2003 में ग्राम मझौरा, थाना हरपुर बुदहट, जनपद गोरखपुर निवासी चन्द्रशेखर उर्फ गुड्डू पुत्र श्रीराम चौरसिया के साथ हुआ था। वह अपने ससुराल में अपने बच्चे के साथ रह रही थी। पारिवारिक विवाद के कारण सोनी और चन्द्रशेखर में तलाक हो चुका है। दिनांक 08.02.2024 सुबह आठ बजे सोनी व उसके ससुराल वाले ससुर श्रीराम चौरसिया, सास तिलारी देवी, देवर धर्मेन्द्र से गाली–गलौज व मार–पीट की जानकारी मुझे नहीं है और न ही इन लोगों के द्वारा जान से मार देने की धमकी देने की जानकारी है। मेरी लड़की ने परिवार न्यायालय में खर्चे का दावा अपने ससुराल वालों के विरूद्ध किया था जिसमें सुलह हो गया। पुलिस वाले मेरा कोई बयान लिये थे।'' इस स्तर पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन को जिरह का अवसर प्रदान किया गया।

**16.1–** अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा अभियोजन साक्षी संख्या–3 से प्रति परीक्षा की गई है। प्रति परीक्षा में इस साक्षी को उसका बयान अन्तर्गत धारा–161 दं0प्र0सं0 पढ़कर सुनाया गया तो कहा कि ''मैंने विवेचक को यह बयान नहीं दिया था कि ''किन्तु उसके ससुराल वाले उसे बहुत ही प्रताड़ित करते हैं और दिनांक 08.02.2024 को सुबह आठ बजे सिलेंडर गैस की बात को लेकर उसके ससुर श्रीराम चौरसिया ....................सास तिलारी देवी..............देवर धर्मेन्द्र...........

मिलकर उसे भद्दी–भद्दी गाली–गुप्ता देते हुए उसे मारा–पीटा जिसमें उसे काफी ज्यादा चोट लगी तथा जान से मारने की धमकी भी दिये।'' विवेचक ने मेरे बयान में कैसे लिख लिया इसका कारण मैं नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण से न्यायालय के बाहर पैसा लेकर सुलह कर लिया है इसलिये उन्हें बचाने की गरज से अपने धारा–161 द0प्र0सं0 के बयान से भिन्न बयान कर रहा हूॅं। यह सत्य है कि मेरी पुत्री सोनी और उसके पति चन्द्रशेखर उर्फ गुड्डू के बीच तलाक हो चुका है। खर्चे के दावा में भी सुलह हो चुका है। यह कहना गलत है कि मेरी पुत्री सोनी का उसके पति चन्द्रशेखर से तलाक हो चुका है और खर्चे के दावा वाले मुकदमें में सुलह हो चुका है इसलिये अभियुक्तगण को बचाने की गरज से घटना के दिन, समय स्थान पर घटना कारित किये जाने के बावजूद सही बात नहीं बता रहा हूॅं। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण के रिश्तेदारों के दबाव में आकर उन्हें बचाने की गरज से उनके द्वारा सोनी को मारते–पीटते व प्रताड़ित करने की जानकारी के बावजूद सही बात नहीं बता रहा हूॅं।

**16.2–** न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्षी संख्या–3 से प्रति परीक्षा की गई है तथा प्रति परीक्षा न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्षी संख्या–3 से ये प्रश्न पूछे गये कि 1–क्या आप किसी व्यक्ति, पुलिस, अधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता के समझाने पर बयान कर रहे हैं, 2–क्या आप किसी अनुचित प्रलोभन में गवाही कर रहे हैं? 3–क्या आप किसी के दबाव में गवाही कर रहे हैं। उक्त तीनों प्रश्नों का उत्तर इस साक्षी ने ''नहीं'' के रूप में दिया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्षी संख्या–3 से चौथा प्रश्न यह पूछा गया कि ''क्या आप अपने स्वछंद मन से गवाही कर रहे हैं?'' जिसका उत्तर इस साक्षी ने ''हॉं'' के रूप में दिया है।

**16.3–** बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा भी अभियोजन साक्षी संख्या–3 इन्द्रजीत से भी प्रति परीक्षा की गई है। प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया हे कि ''मैंने कोई घटना अपने ऑख से नहीं देखा और न ही सुना।''

**17—** अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन साक्षी संख्या–4 के रूप में बृजनाथ को सशपथ परीक्षित कराया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या–4 बृजनाथ ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि ''मेरे गांव के इन्द्रजीत की पुत्री सोनी का विवाह सन 2003 में चन्द्रशेखर उर्फ गुड्डू, ग्राम मझौरा, थाना हरपुर बुदहट, गोरखपुर से हुआ था। वह अपने पति से तलाक लेकर अपने ससुराल में ही रहती है। उसके ससुराल श्रीराम चौरसिया, सास तिलारी देवी, देवर धर्मेन्द्र दिनांक 08.02.2024 को सुबह 8.00 बजे सोनी को मारे–पीटे, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। उसके ससुराल में कोई सुलह समझौता हुआ था, मैं नहीं जानता हूॅं न ही प्रताड़ना के बारे में मैं जानता हूॅं। सोनी ने परिवार न्यायालय में खर्चे का दावा किया था जिसमें सुलह समझौता हो गया है। पुलिस वाले मेरा कोई बयान नहीं लिये थे।'' इस स्तर पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया एवं अभियोजन पक्ष को जिरह का अवसर प्रदान किया गया।

**17.1—** अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा अभियोजन साक्षी संख्या–4 से प्रति परीक्षा की गई है। प्रति परीक्षा में इस साक्षी को उसका बयान अन्तर्गत धारा–161 दं0प्र0सं0 पढ़कर सुनाया गया तो कहा कि ''मैंने विवेचक को यह बयान नहीं दिया था कि ''किन्तु उसके ससुराल वाले उसे बहुत प्रताड़ित करते हैं .............. श्रीराम चौरसिया............ सास तिलारी देवी ................देवर धर्मेन्द्र चौरसिया ............ लाठी, डण्डे से मारे–पीटे.............. उसके बच्चे की देखरेख व परवरिश करते हैं।'' विवेचक ने मेरे बयान में कैसे लिख लिया इसका कोई वजह मैं नहीं बता सकता हूॅं। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण से मिलकर उन्हें बचाने की गरज से अपने 161 दं0प्र0सं0 में दिये गये बयान से भिन्न बयान कर रहा हूॅं। यह सत्य है कि सोनी और उसके पति चन्द्रशेखर के बीच तलाक हो चुका है और खर्चे के दावा में सुलह हो चुका है। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण को बचाने की गरज से उनके द्वारा घटना कारित करने की जानकारी के बावजूद सही बात नहीं बता रहा हूॅं।''

**17.2—** न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्षी संख्या–4 से प्रति परीक्षा की

गई है तथा प्रति परीक्षा न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्षी संख्या–4 से ये प्रश्न पूछे गये कि 1–क्या आप किसी व्यक्ति, पुलिस, अधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता के समझाने पर बयान कर रहे हैं, 2–क्या आप किसी अनुचित प्रलोभन में गवाही कर रहे हैं? 3–क्या आप किसी के दबाव में गवाही कर रहे हैं। उक्त तीनों प्रश्नों का उत्तर इस साक्षी ने ''नहीं'' के रूप में दिया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्षी संख्या–4 से चौथा प्रश्न यह पूछा गया कि ''क्या आप अपने स्वच्छंद मन से गवाही कर रहे हैं?'' जिसका उत्तर इस साक्षी ने ''हॉ'' के रूप में दिया है।

**17.3–** बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा भी अभियोजन साक्षी संख्या–4 से भी प्रति परीक्षा की गई है। प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि ''घटना घटित होते हुए मैंने अपनी आंख से नहीं देखा था।''

18– अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अभियोजन साक्षीगण के मौखिक साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में कोई अंतिम निष्कर्ष देने से पूर्व अभिलेखीय साक्ष्यों एवं वस्तु प्रदर्श का भी वर्णन किया जाना आवश्यक है जो निम्नलिखित हैं–

**अभिलेखीय साक्ष्य प्रदर्श क–1** वादिनी मुकदमा सोनी द्वारा प्रस्तुत लिखित तहरीर है, जिसका विवरण पूर्व में दिया जा चुका है।

**अभिलेखीय साक्ष्य प्रदर्श क–2** आरोप–पत्र है, जिसे विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त तैयार कर अभियुक्तगण श्रीराम चौरसिया, तिलारी देवी व धर्मेन्द्र चौरसिया के विरूद्ध धारा–323, 504, 506, 498ए, 308 के अन्तर्गत न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

**अभिलेखीय साक्ष्य प्रदर्श क–3** चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट है जिसे वादिनी मुकदमा सोनी देवी की लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर मु०अ०सं०–31/2024 अंतर्गत धारा–323, 504, 506 भा0दं0सं0 के तहत दिनांक 08.02.2024 को समय 17.11 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट, थाना–हरपुर

बुदहट, जनपद–गोरखपुर में अभियुक्तगण श्रीराम चौरसिया, तिलारी देवी व धर्मेन्द्र चौरसिया के विरूद्ध पंजीकृत किया गया है।

**अभिलेखीय साक्ष्य प्रदर्श क–4** लिखित तहरीर के पुष्ठ पर अंकित रिपोर्ट है।

**अभिलेखीय साक्ष्य प्रदर्श क–5** कायमी मुकदमा की जी0डी0 की कम्प्यूटराईज्ड प्रति है।

**अभिलेखीय साक्ष्य प्रदर्श क–6** नक्शा–नजरी घटनास्थल है जिसमें विवेचक एस0 आई0 आलोक कुमार सिंह द्वारा "X" चिन्ह/निशान से वादिनी की निशानदेही पर घटनास्थल को दर्शाया गया है।

**अभिलेखीय साक्ष्य प्रदर्श क–7** आहत सोनी की सी0टी0स्कैन हेड रिपोर्ट है। उक्त सी0टी0स्कैन रिपोर्ट में आहत सोनी के सिर का सी0टी0स्कैन जिला चिकित्सालय, गोरखपुर पर दिनांक 13.02.2024 को किया गया है। सी0टी0स्कैन रिपोर्ट में आहत के सिर पर चोटें आना बताया गया है तथा उसके सिर में फ्रैक्चर व हेमरेजिक कन्ट्यूजन पाया गया है।

**अभिलेखीय साक्ष्य प्रदर्श क–8** आहत सोनी से सम्बन्धित जिला चिकित्सालय रेडियोलाजी विभाग का पर्चा है। उक्त पर्चे में आहत सोनी को सी0टी0स्कैन हेड कराये जाने की सलाह दी गई है।

**अभिलेखीय साक्ष्य प्रदर्श क–9** आहत सोनी का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सहजनवॉ, गोरखपुर का चिकित्सीय पर्चा है जिसमें चिकित्सक द्वारा सोनी को सिर की सी0टी0स्कैन कराये जाने हेतु जिला चिकित्सालय, गोरखपुर सन्दर्भित किया गया है।

**अभिलेखीय साक्ष्य प्रदर्श क–10** आहत सोनी की चिकित्सीय परीक्षण आख्या है। उक्त चिकित्सीय परीक्षण आख्या में आहत सोनी का

चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 08.02.2024 को समय 1.50 पी0एम0 पर किया जाना उल्लिखित है। उक्त चिकित्सीय परीक्षण आख्या में आहत के शरीर पर कुल 07 चोटें आना बताया गया है। चिकित्सक की राय में चोट संख्या–2 को छोड़कर शेष सभी चोटें साधारण थी तथा चोट संख्या–2 के लिये आहत को सी0टी0स्कैन हेड कराये जाने की सलाह दी गई है तथा सी0टी0स्कैन हेड हेतु आहत को जिला अस्पताल सन्दर्भित किया गया है। आहत को आई चोटें ताजी थी।

**अभिलेखीय साक्ष्य प्रदर्श क–11** जी0डी0 सं0 13 दिनांकित 13.02.204 समय 9.48 बजे की कम्प्यूटराईज्ड प्रति है।

**वस्तु प्रदर्श–1** आहत सोनी की सी0टी0स्कैन प्लेट है?।

**19–** प्रस्तुत सत्र परीक्षण में अभियुक्तगण श्रीराम चौरसिया, तिलारी देवी व धर्मेन्द्र चौरसिया को धारा–323, 504, 506, 498ए, 308 भा0दं0सं0 के आरोपों से आरोपित किया गया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के सम्यक अवलोकन से निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट हो रहे हैं–

**क–** पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादिनी मुकदमा के द्वारा जो लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु सम्बन्धित थाना हरपुर बुदहट में प्रस्तुत की गई है, उस तहरीर में लेखक के रूप में इन्द्रजीत चौरसिया पुत्र स्व0 किशोर चौरसिया ग्राम हरपुर उर्फ दूबरिया अंकित है तथा प्रार्थिनी के रूप में सोनी का हस्ताक्षर है। उक्त तहरीर से यह तथ्य प्रकाश में आता है कि तहरीर प्रदर्श क–1 इन्द्रजीत चौरसिया द्वारा लिखा लिया गया है जिस पर वादिनी मुकदमा सोनी द्वारा अपना हस्ताक्षर बनाया गया है।

**ख–** अभियोजन साक्षी संख्या–1 सोनी, जो प्रस्तुत प्रकरण की पीड़िता/आहत कही जाती है तथा जिसके साथ अभियुक्तगण द्वारा घटना

कारित किया जाना अभियोजन द्वारा अभिकथित है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है तथा यह साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है कि घटना के दिन वह अपने ससुराल में खाना बनाने जा रही थी। वह गैस सिलेण्डर हटा रही थी उसी में फिसल कर गिर गई जिससे उसे किचन में रखे बरतन और बरजे से चोट आ गई। उसके ससुराल वाले अर्थात अभियुक्तगण उसे गाली–गुप्ता देते हुए लाठी–डण्डा से नहीं मारे–पीटे थे। इस प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या–1 के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है उनसे अभियुक्तगण के द्वारा घटना कारित किये जाने की पुष्टि नहीं होती है। यद्यपि अभियोजन साक्षी संख्या–1 ने तहरीर पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की है, लेकिन यह भी कथन किया है कि उसके ससुराल वाले उसे अस्पताल नहीं ले गये तब उसने अपने पिता के पास फोन किया वे आये तब उन्होनें दरखास्त लिखा और थाने पर ले गये जिस पर उसका डाक्टरी वगैरह पुलिस वाले कराये। दरखास्त पर उसने अपना हस्ताक्षर बनाया था। दरखास्त में लिखित बातें उसके कहने पर लिखी नहीं गई थी लिखने वाले ने अपने मन से लिखा था। उपरोक्त बयान के सन्दर्भ में तहरीर प्रदर्श क–1 के अवलोकन से भी विदित होता है कि तहरीर में तहरीर लेखक के रूप में इन्द्रजीत चौरसिया का नाम अंकित है जो अभियोजन साक्षी संख्या–1 का पिता है। अभियोजन साक्षी संख्या–1 की विस्तृत प्रति परीक्षा न्यायालय, अभियोजन पक्ष एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से की गई है, लेकिन प्रति परीक्षा में ऐसा कोई तथ्य उद्घाटित नहीं हो सका है जिससे प्रस्तुत घटना अभियुक्तगण के द्वारा कारित किये जाने की पुष्टि होती हो। इस प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या–1 सोनी के सम्पूर्ण साक्ष्य के विवेचन से अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की पुष्टि किसी भी प्रकार से नहीं होती है। इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक किसी भी प्रकार से प्रमाणित नहीं होता है।

**ग–** अभियोजन साक्षी संख्या–2 शिव प्रसाद, जो पीड़िता/आहत वादिनी मुकदमा सोनी का सगा मामा है, ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्तगण के द्वारा घटना कारित किये जाने के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि सोनी

के ससुराल वाले सोनी को मारते–पीटते थे कि उसकी जानकारी उसे नहीं है उसने अभियुक्तगण के द्वारा सोनी को गाली–गुप्ता देते हुए मारते–पीटते नहीं देखा और न ही जान से मारने की धमकी की जानकारी उसे है। इस साक्षी को अभियोजन पक्ष के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या–2 के उपरोक्त साक्ष्य से यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अभियुक्तगण के द्वारा वादिनी मुकदमा सेानी के साथ अभियोजन द्वारा कथित घटना कारित किये जाने के सम्बन्ध में उसे कोई जानकारी नहीं है तथा यह साक्षी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। इस साक्षी के साक्ष्य से भी अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। अभियेाजन साक्षी सख्या–2 से भी अभियोजन पक्ष के द्वारा विस्तृत जिरह की गई, लेकिन उक्त साक्षी के जिरह/प्रति परीक्षा में भी ऐसा कोई तथ्य उभर कर सामने नहीं आया है जिससे अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किये जाने के तथ्य को बल मिलता हो। इस प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या–2 शिव प्रसाद के सम्पूर्ण साक्ष्य से भी अभियुक्तगण के द्वारा घटना कारित किये जाने की किसी भी प्रकार से पुष्टि नहीं होती है। इस साक्षी द्वारा अभियोजन घटनाक्रम को नकार दिया गया है।

**घ–** अभियोजन साक्षी संख्या–3 इन्द्रजीत चौरसिया है। यह साक्षी वादिनी मुकदमा सोनी का पिता है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि कथित घटना की तिथि व समय पर सोनी व उसके ससुराल वाले ससुर श्रीराम चौरसिया, सास तिलारी देवी व देवर धर्मेन्द्र से गाली–गलौज व मार–पीट की जानकारी उसे नहीं है और न ही इन लोगों के द्वारा सोनी को जाने से मारने की धमकी देने की जानकारी है। इस साक्षी को भी अभियेाजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है तथा इस साक्षी से विस्तृत प्रति परीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से की गई है, लेकिन इस साक्षी ने जिरह में भी ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे अभियोजन कथानक को कोई बल प्रदान होता है। बचाव पक्ष के द्वारा जिरह किये जाने पर इस साक्षी ने कथन किया गया है कि उसने कोई घटना अपनी ऑख से नहीं देखा न ही सुना। इस प्रकार अभियोजन साक्षी सख्या–3 इन्द्रजीत चौरसिया के सम्पूर्ण साक्ष्य के विवेचन से यह तथ्य प्रकाश में आता है कि यह साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है तथा अभियुक्तगण के द्वारा वादिनी

मुकदमा सोनी के साथ कोई घटना कारित नहीं की गई है। अभियोजन साक्षी संख्या–3 के साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की किंचित मात्र भी पुष्टि नहीं हो रही है।

**ड.–** अभियेाजन साक्षी संख्या–4 बृजनाथ है। उक्त साक्षी के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में घटना के सम्बन्ध में इस आशय का कथन किया गया है कि वादिनी मुकदमा सोनी के ससुराल वाले अभियुक्तगण श्रीराम चौरसिया, सास तिलारी देवी व देवर धर्मेन्द्र दिनांक 08.02.2024 को सुबह आठ बजे सोनी को मारे–पीटे, इसकी जानकारी उसे नहीं है। सोनी के ससुराल में कोई सुलह समझौता हुआ था, वह नहीं जानता है और न ही प्रताड़ना के बारे में ही जानता है। इस साक्षी के उपरोक्त बयान से भी अभियुक्तगण के द्वारा वादिनी मुकदमा के साथ किसी भी प्रकार की घटना कारित किये जाने की पुष्टि नहीं होती है। इस साक्षी को भी अभियोजन पक्ष की ओर से पक्षद्रोही घोषित करा कर इस साक्षी से विस्तृत प्रति परीक्षा की गई है, लेकिन प्रति परीक्षा में ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है जिससे अभियुक्तगण के द्वारा घ टना कारित किये जाने की किसी भी प्रकार पुष्टि हो रही है। इस प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या–4 के साक्ष्य से भी अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं हो रही है।

**च–** पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आहत सोनी की मूल सी0टी0स्कैन रिपोर्ट, आहत सोनी के पेशेन्ट रिकार्ड की प्रमाणित प्रति, आहत सोनी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का चिकित्सीय पर्चा व आहत सोनी की मूल चिकित्सीय परीक्षण आख्या की औपचारिक सत्यता को स्वीकार किया गया है जिन्हें क्रमशः प्रदर्श क–7 लगायत क–10 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। उक्त चिकित्सीय प्रपत्रों के अवलोकन से आहत वादिनी मुकदमा सोनी के सिर में फ्रैक्चर व हेमरेजिक कन्टयूजन व शरीर के अन्य भागों में चोटें आना तो ज्ञात होता है, लेकिन ये चोटें अभियुक्तगण के द्वारा घटना की तिथि, समय व स्थान पर वादिनी मुकदमा को कारित की गई, यह अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य से साबित नहीं होता है। इसके अतिरिक्त अन्य अभियोजन प्रपत्रों अभियोजन प्रपत्र

आरोप–पत्र, कम्प्यूटराईज्ड चिक एफ.आई.आर., तहरीर के पुष्ठ पर अंकित रिपोर्ट, कम्प्यूटराईज्ड कायमी मुकदमा की जी0डी0 व नक्शा–नजरी घटनास्थल की भी औपचारिक सत्यता को बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया है जिन पर क्रमशः प्रदर्श क–2 लगायत क–6 डाला गया है। बचाव पक्ष की ओर से जी0डी0 की कार्बन प्रति की भी औपचारिक सत्यता स्वीकार की गई है जिस पर प्रदर्श क–11 अंकित किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन पक्ष को अपना केस स्वयं साबित करना होता है, मात्र बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता को स्वीकार कर लिये जाने से ही अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को साबित नहीं माना जा सकता है। अतः बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता को स्वीकार कर लिये जाने का कोई लाभ अभियोजन पक्ष को प्रदान नहीं किया जा सकता है।

**20–** इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण अभियोजन साक्षी संख्या–1 ता अभियोजन साक्षी संख्या–4 ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है तथा अभियुक्तगण द्वारा कथित घटना कारित किये जाने से इंकार किया है। वादिनी मुकदमा सोनी, जो कि स्वयं आहत भी है, ने अपने साक्ष्य से अभियुक्तगण के द्वारा घटना कारित किये जाने की पुष्टि नहीं की है। इस प्रकरण में अभियोजन द्वारा अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है जो अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजन आरोप को किसी भी प्रकार से अपने साक्ष्य से साबित कर सके। अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता को अभियुक्त पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वीकार कर लिये जाने से अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजन आरोप युक्तियुक्त सन्देह से परे किसी भी प्रकार से साबित नहीं माना जा सकता। अतः अभियेाजन साक्षीगण के साक्ष्य से अभियुक्तगण श्रीराम चौरसिया, तिलारी देवी व धर्मेन्द्र चौरसिया के विरूद्ध लगाये हुए इस आरोप की पुष्टि युक्तियुक्त सन्देह से परे नहीं होती है कि अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा सोनी को कथित घटना की तिथि, समय व स्थान पर लाठी–डण्डे से मार–पीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति एवं स्वेच्छया गम्भीर उपहति कारित की गई एवं वादिनी मुकदमा को गाली–गुप्ता देकर अपमानित किया गया एवं जान से मारने की धमकी दी गई तथा दहेज

की मॉग कर उसका उत्पीड़न किया गया। अतः अभियुक्तगण श्रीराम चौरसिया, तिलारी देवी व धमेन्द्र चौरसिया धारा–323 504, 506, 498ए एवं 308 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप के सन्बन्ध में दोष मुक्त किये जाने योग्य हैं।

**20–** उपरोक्त विश्लेषण से यह भी स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षी संख्या–1 वादिनी मुकदमा सोनी ने न्यायालय में दिये अपने सशपथ बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है, जबकि तहरीर प्रदर्श क–1 पर अभियोजन साक्षी संख्या–1 ने अपने हस्ताक्षर की पहचान की है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस साक्षी ने थाने पर तहरीर प्रदर्श क–1 प्रस्तुत कर अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया है, परन्तु जानबूझ कर न्यायालय में झूंठा बयान दिया है एवं पक्षद्रोही घोषित हो गयी है। इस प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या–1 ने जानबूझ कर न्यायालय में सशपथ असत्य कथन किया है, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया गया है, इसलिये अभियोजन साक्षी संख्या–1 वादिनी मुकदमा सोनी के विरूद्ध धारा–344 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत पृथक प्रकीर्ण वाद दर्ज कर उसे नोटिस जारी हो।

**<u>आदेश</u>**

अभियुक्तगण श्रीराम चौरसिया, तिलारी देवी व धर्मेन्द्र चौरसिया को दण्डनीय अपराध धारा–323, 504, 506, 498ए, 308 भा0दं0सं0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण दौरान विचारण जमानत पर हैं। अतः अभियुक्तगण के स्वबन्धपत्र व जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं और प्रतिभूओं को उनके दायित्वों से उन्मोचित किये जाते हैं।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 29.06.2026 को अभियुक्त के द्वारा धारा–437ए दं0प्र0सं0 का अनुपालन सुनिश्चित किया जा चुका है।

अभियोजन साक्षी संख्या–1 वादिनी मुकदमा सोनी देवी पत्नी चन्द्रशेखर उर्फ गुड्डू चौरसिया, निवासिनी ग्राम मझौरा, थाना हरपुर बुदहट, गोरखपुर के विरूद्ध धारा–344 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत पृथक प्रकीर्ण वाद दर्ज कर अभियोजन साक्षी संख्या–1 वादिनी मुकदमा सोनी देवी को नोटिस जारी किया जाये।

**(राज कुमार सिंह)**
**दिनांक–03.07.2026** **सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।**
**J.O.Code No. 1889**

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

**(राज कुमार सिंह)**
**दिनांक–03.07.2026** **सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।**
**J.O.Code No. 1889**



Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.07.03 15:43:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court